*जयपुर में लगातार दूसरे दिन भी तेज बारिश हुई। बेमौसम की यह बारिश किसानों के लिए किसी बड़े सितम से कम नहीं है। सीकर रोड पर स्थित कुकरखेड़ा अनाज मंडी की यह तस्वीर अपने आप यह हाल बयां कर रही है। जौ की फसल बेचने मंडी आये किसानों की मेहनत पर अंतिम क्षणों में बारिश ने पानी फेर दिया। मंडी में जगह नहीं मिलने के कारण किसानों को जौ की बोरियां खुले में ही रखनी पड़ीं। अपनी बारी आने और खरीददार मिलने का इंतजार कर रहे किसानों की जौ की बोरियां शुक्रवार को आई तेज बारिश में पूरी तरह से भीग गईं। फसल का सही भाव मिल सके इसके लिए कई किसानों ने सैम्पल के तौर पर काफी सारी जौ खुले में फैला रखी थी, लेकिन ऐन मौके पर आई बारिश ने उनकी महीनों की मेहनत को पूरा चौपट कर दिया। प्रदेश के किसानों के लिए 15 मार्च के बाद का समय बहुत विकट गुज़रा है, पहले ओलों व आंधी ने खड़ी फसलों को खेतों में ही नुकसान पहुँचा दिया और अब लगातार हो रही बारिश ने रही-सही कसर को भी पूरा कर दिया है।*

# नई विदेश व्यापार नीति घोषित, रूपये में ही कारोबार पर पूरा जोर रहेगा

## भारतीय निर्यातकों को कोई सामान देश में लाए बगैर उसको तीसरे देश में निर्यात की छूट रहेगी, पूरे देश में डाक निर्यात केन्द्र खोले जायेंगे

नई दिल्ली, 31 मार्च (वार्ता) माल एवं सेवाओं का निर्यात 2030 तक दो लाख करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंचाने तथा रुपये में वैश्विक व्यापार को प्रोत्साहित करने जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों तथा वैश्विक बाजार की अनिश्चितताओं के दौर में नीतिगत निश्चितता, स्थिरता तथा लचीलेपन के रणनीतिक उद्देश्यों के साथ सरकार ने शुक्रवार को 'आज़ादी के अमृतकाल' की पहली 'विदेश व्यापार नीति' (एफटीपी) पेश की।परंपरा से हट कर नई एफटीपी-2023 में कोई 'सनसेट उपबंध'(पटाक्षेप की तिथि) नहीं रखी गयी है।

- **सरकार ने माल एवं सेवाओं का निर्यात 2030 तक दो लाख करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है।**

**विदेश व्यापार नीति के मुख्य बिंदु-**

1-नई व्यापार नीति में सनसेट क्लाज (पटाक्षेप) तिथि नहीं है।

2-वाणिज्य मंत्रालय का भविष्य की उभरती अवश्यकताओं के अनुसार पुनर्गठन।

3-ई-कामर्स निर्यात को विदेश व्यापार नीति के भी लाभों का पात्र बनाया गया। वेयर-हाउसिंग सुविधा के साथ ई-कामर्श निर्यात केंद्रों को प्रोत्साहन। वहां लेबलिंग, प्रोसेसिंग जांच और पैकिंग भी होगी।

4- पूरे देश में 'डाक निर्यात केंद्र' खोले जाएंगे।

5- कोई सामान देश में लाए बगैर उसको तीसरे देश में निर्यात की छूट। इसके लिए भारतीय निर्यातकों को रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन करने और कुछ अन्य शर्तों के साथ दूसरे देश से खरीदे माल को बाहर ही बाहर तीसरे देश में निर्यात करने की छूट से भारतीय निर्यातकों को गेहूं जैसी इस समय प्रतिबंधित जिंसों के निर्यात का अपना बाजार बनाए रखने की सुविधा होगी।

6- वैश्विक व्यापार में रुपये के प्रयोग को प्रोत्साहन देकर रुपए को वैश्विक स्तर पर स्वीकार मुद्रा बनाने का लक्ष्य। विदेशी विनियम संकट में फंसे देशों के साथ रुपये में व्यापार को प्रोत्साहन दे कर भारत के निर्यात बाजार के संरक्षण और संकटग्रस्त देश की मुश्किल में मदद की पहल।

7-वाराणसी , मिर्जापुर , मुरादाबाद और फरीदाबाद को निर्यात उत्कृष्टता वाले कस्बों (टीईई) की सूची में जगह। टीईई में साझा सेवा प्रदाताओं (सीएसपी) को ईपीसीजी योजना का लाभ।

8-बाजारों में प्रवेश की पहल (एमएआई) योजना का विस्तार। 9-राज्यों और जिलों को निर्यात संवर्धन में भागीदार बनाने लिए जिलों को निर्यात का केंद्र बनाने, जागरूकता बढ़ाने राज्य एवं जिला स्तर पर निर्यात संवर्धन समितियां बनाने की नीति। जिला स्तर पर क्षमता विस्तार किया जाएगा।

### स्मॉल सेविंग...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

अप्रैल से 30 जून तक की तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं पर ब्याज की नई दरें जारी कर दी गयी है।

# पिकअप-टैंकर की टक्कर में भाई-बहन समेत 5 की मौत

- **मृतकों में तीन बच्चे हैं तथा दो बालिकाएं गंभीर रूप से घायल हैं।**
- **पिकअप में एक ही परिवार के लोग थे और सभी खरीददारी खरीदने गए थे।**

जोधपुर, 31 मार्च (कासं)। जोधपुर-बीकानेर नेशनल हाईवे पर पिकअप-टैंकर की आमने-सामने की टक्कर में भाई-बहन समेत 5 लोगों की मौत हो गई। इसमें 2 बच्चियां भी घायल हुई हैं। हादसा फलौदी में दोपहर 3 बजे हुआ। पिकअप सवार एक ही परिवार के है और घर में आने वाली नई बहू के लिए कपड़े खरीदने गए थे।

पुलिस ने बताया कि बाप में जांबा गांव के लोग कपड़े खरीदने फलौदी गए थे। खरीदारी कर लौटते समय हादसा हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और टैंकर के आगे के टायर निकल कर बाहर आ गए। हादसे के बाद टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया।

हादसे में पिकअप ड्राइवर पर्वत पुत्र जियाराम, उर्मिला (38) पत्नी हरीराम, विकास (20) पुत्र सुभाष, प्रवीण (12) पुत्र ओमप्रकाश और रवीना (12) पुत्री ओमप्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई।

घायल अर्पिता (15) पुत्री हरीराम विश्नोई और ईसानी (12) पुत्र श्याम लाल को फलौदी जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से अर्पिता को जोधपुर रैफर कर दिया गया।

जानकारी के अनुसार सहीराम विश्नोई के बेटे रमेश का मुकलावा था। शुक्रवार सुबह परिवार मुकलावा करने के लिए बीकानेर चला गया था। रमेश की चाची उर्मिला ने नई बहू के स्वागत के लिए खरीदारी के लिए कहा। इस पर 4 लोग उर्मिला, ड्राइवर पर्वत और विकास और ईसानी फलौदी गए थे। वापसी में ओमप्रकाश के बेटे-बेटी और भांजे को पिकअप में बैठा लिया। हादसे में तीनों बच्चों की मौत हो गई।

हादसे में मरने वाले रवीना और प्रवीण भाई-बहन है। हादसे के बाद घर में कोहराम मच गया।

## 'बम ब्लास्ट ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

गहलोत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बांटने की राजनीति की है, वर्ष 1984 में सिख भाई-बहनों का नरसंहार कांग्रेस के शासन में हुआ, आतंकवादियों को प्रश्रय व सरंक्षण कांग्रेस सरकार के समय दिया गया। शांति प्रिय राजस्थान में साढ़े चार वर्ष से सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों को सरकार संरक्षण मिला हुआ है, कांग्रेस सरकार के खत्म होते जनाधार के कारण मुख्यमंत्री गहलोत कभी तुष्टिकरण की राजनीति करते है, तो कभी खालिस्तान की बात करते हैं।"

सी.पी. जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में 156 सीट जीतने की बात करते हैं, जबकि गहलोत के दो बार के कार्यकाल में कांग्रेस विधानसभा की 21 और 56 सीटें ही जीत पाई और प्रदेश के आज के हालात देखकर लगता है कि अबकी बार 21 सीट भी नहीं जीत पाएगी। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जनता से कई वादे किए थे, जिनमें किसानों से ऋण माफी, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, संविदाकर्मियों के नियमितिकरण, कानून व्यवस्था सहित अपराध को रोकने एवं महिला सुरक्षा के वादे शामिल थे, लेकिन राज्य की गहलोत सरकार ने ये वादे पूरे नहीं किए। राजस्थान की जनता कांग्रेस सरकार को वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में जवाब देगी, भाजपा को प्रचंड जनादेश मिलेगा।

# कोलंबिया से भारत आयेंगे 60 हिप्पो

## नामीबिया से आये चीतों के सफल पुनर्वास से उत्साहित होकर सरकार ने यह फैसला किया है

नई दिल्ली, 31 मार्च। मध्यप्रदेश के कूनो अभ्यारण्य में अफ्रीका से चीतों के आने के बाद अब कोलंबिया से 70 हिप्पो भारत लाए जाएंगे। इन हिप्पो की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि इन्हें दूसरे देशों में भेजा जा रहा है। इसी के तहत एक बड़ी संख्या यानी 70 कोकीन हिप्पो को भारत लाया जाएगा और एक अभ्यारण्य में रखा जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 70 'कोकीन हिप्पो' को स्थानांतरित करने की योजना है। इनमें से 60 भारत लाए जाएंगे। दरअसल, ये हिप्पो ड्रग स्मगलर पाब्लो एस्कोबार के प्राइवेट चिड़ियाघर में रहे जानवरों के वंशज हैं। इसी कारण से इन्हें कोकीन हिप्पो कहा जाता है। इन्हें स्थानांतरित करने में 35 लाख डॉलर का खर्च आएगा। यह योजना कोलंबियाई कृषि संस्थान, कोलंबिया वायु सेना और मैक्सिको में ओस्टोक अभ्यारण्य समेत विभिन्न संस्थान के साथ स्थानीय एंटीऑक्विया सरकार की ओर से किए गए समझौते का हिस्सा है। अभ्यारण्य 10 दरियाई घोड़ों को ले जाएगा। जबकि शेष 60 को भारत के एक अभ्यारण्य में लाया जाएगा।

पाब्लो एस्कोबार के इलाकों से होते हुए ये जानवर खेत में दूर तक फैल चुके हैं। अधिकारियों की ओर से इनकी आबादी कंट्रोल करने के लिए तरह.तरह के उपाय अपनाए गए, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी संख्या 130 से 160 हो गई है। मूल हिप्पो विदेशी जानवरों के चिड़ियाघर का हिस्सा थे। जिसे पाब्लो एस्कोबार ने 1980 के दशक में बनाया था। 1993 में उसकी मौत के बाद ज्यादातर जानवरों को अधिकारियों ने स्थानांतरित कर दिया, लेकिन परिवहन की कठिनाई के कारण उन्होंने हिप्पो को नहीं हटाया।

तभी से इन हिप्पो ने तेजी से प्रजनन किया। स्थानीय मैग्डेलेना नदी के बेसिन के साथ उन्होंने अपना विस्तार किया। देखते ही देखते हिप्पो स्थानीय लोगों और अधिकारियों के लिए एक पर्यावरणीय चुनौती बन गए। 10 हिप्पो मैक्सिको में भेजे जाएंगे।

## 'प्र.मंत्री का ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

कि क्या देश को यह जानने का अधिकार नहीं है कि उनके प्रधानमंत्री कितने शिक्षित हैं? कोर्ट में उनकी डिग्री दिखाए जाने का उन्होने जोरदार विरोध किया, क्यों? और डिग्री दिखाने को कहने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लगाया? ये हो क्या रहा है। एक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री देश के लिए खतरनाक है!

वर्ष 2016 में आर.टी.आई. के तहत पूछे गए सवाल के लिए सैन्ट्रल इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने प्रधानमंत्री कार्यालय, गुजरात युनिवर्सिटी और दिल्ली युनिवर्सिटी को निर्देश दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी की ग्रैजुएशन और पोस्ट ग्रैजुएशन डिग्री के बारे में जानकारी दें।

गुजरात युनिवर्सिटी ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव दस्तावेजों में लिखा है कि उन्होने 1978 में गुजरात युनिवर्सिटी से ग्रैजुएशन किया था फिर 1983 दिल्ली युनिवर्सिटी से एम.ए. किया था। अगर कोई निर्वाचित प्रतिनिधि हलफनामे के जरिए कोई दावा करता है तो प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त मांग करता है कि ऐसे दावे को संस्थान, जहां से संबंधित दावा किया गया है, पारदर्शी प्रक्रिया से सत्यापित करे।

# इस बार फिर...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

इस पर हमला हुआ।

ममता बनर्जी ने सुभेन्दु अधिकारी का नाम लिए बिना आरोप लगाया कि बंगाल के कई जगहों पर हुई हिंसा में अधिकारी का हाथ है। उन्होने कहा कि रामनवमी से ठीक पहले अधिकारी ने अमित शाह से मुलाकात की थी। सुभेन्दु अधिकारी तृणमूल के खिलाफ भाजपा के सब से सशक्त नेता हैं।

इसी बीच केन्द्रीय गृह मंत्री ने राज्य के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस से बात की और राज्य की कानून व्यवस्था पर जानकार मांगी। राज्यपाल एक-दो दिन में दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर सकते है। इसी बीच सोशल मीडिया में भी हरेक रामनवमी पर हिंसा होने को लेकर बहस छिड़ी हुई है।

ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के साथ केन्द्र के भेदभाव को लेकर धरना दे रही हैं। यह ऐसा मुद्दा है जिसे बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टियों आधी सदी से भुना रही है पर अब यह मुद्दा बेअसर हो चुका है।

वाम मोर्चा सरकारें आए दिन इस मुद्दे पर धरना देती थीं और जब भी राज्य सरकार के खराब प्रदर्शन की बात उठती तब यह मुद्दा जोर शोर से उठाया जाता था।

वर्तमान में ममता बनर्जी की नीतियां व व्यवहार के कारण राज्य में कोई निवेश नहीं आ रहा है। युवा बेरोजगारी व अन्य राज्यों की ओर पलायन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अधिकांश घरों में सिर्फ बुजुर्ग बचे है क्योंकि युवा काम की तलाश में बाहर चले गए हैं।

राज्य के सरकारी कर्मचारी भी केन्द्र के समान डी.ए. मांग रहे हैं। राज्य में डी.ए. मात्र 4 प्रतिशत है जबकि केन्द्र में 42 प्रतिशत, इससे कर्मचारी नाराज है। उन्होने कहा कि ममता बनर्जी कलाकारों और खिलाड़ियों को मनमाने तरीके से पैसा बांटती है जबकि डी.ए. बढ़ाने के नाम पर पैसा नहीं होने की बात करती हैं।

गुरुवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों ने कलकत्ता में धरना दिया जिन्हें ममता नें "भौंकने वाले कुत्ते" करार दिया जिस पर भारी बवाल मचा।

देखा जाना है कि राज्य की वित्तीय स्थिति बेहत दयनीय है बजट घाटा बहुत ज्यादा है ओवर ड्राफ्ट पहले ही सीमा पार कर चुका है।

# अमेरिका में ट्रम्प व भारत...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

शुमर ने एक बयान में कहा कि ट्रम्प के अभियोजन में किसी प्रकार का प्रभावी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उन्होंने ट्रम्प के समर्थकों और आलोचकों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं कानून के अनुसार चलने देना चाहिए। सदन की पूर्व स्पीकर नैंसी पेलोसी ने ट्वीट कर कहा कि ट्रम्प के अभियोजन में ग्रैण्ड जूरी ने तथ्य एवं विधि सम्मत कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि "कानून से ऊपर कोई नहीं है तथा स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए हर किसी के पास कानूनी सुनवाई का अधिकार है और उम्मीद है कि पूर्व राष्ट्रपति उस सिस्टम का शांतिपूर्ण ढंग से आदर करेंगे, जो उन्हें यह अधिकार प्रदान करता है।"

लूज़ियाना के हाउस रिपब्लिकन मैजोरिटी लीडर स्टीव स्कलाइज़ ने भी इस अभियोजन को अपमानजनक बताया। हाउस में सैकिण्ड रैंक के इस रिपब्लिकन ने गुरूवार को ट्वीट किया कि "पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के विरूद्ध न्यूयॉर्क में अभियोजन इसका स्पष्ट उदाहरण है कि चरमपंथी डैमोक्रेट्स अपने राजनीतिक विरोधियों पर प्रहार करने के लिए सरकार को हथियार बना रहे हैं।"

ट्रम्प के सहयोगियों ने यह कहते हुए अभियोजन की भर्त्सना की कि यह पूर्व राष्ट्रपति को पुन: निर्वाचित होने से रोकने का एक प्रयास है। राष्ट्रपतियों का इतिहास लिखने वाले मैट डालैक ने कहा कि यह अभियोजन अमेरिका में लोकतंत्र का एक संक्रमण कालहै और इसमें समान न्याय के सिद्धांत का परीक्षण होगा और हाल ही के इतिहास में शायद ऐसा कोई केस नहीं है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि "यह अभियोजन लोकतंत्र के लिए एक अच्छी खबर है और उथल-पुथल को भी परिलक्षित है, जो ट्रम्प ने हमारे सुशासन के सिस्टम के समक्ष प्रस्तुत की है। अत: बातें इसके पक्ष और विपक्ष दोनों को लेकर हैं।"

उन्होंने कहा कि "यह महत्वपूर्ण है क्योंकि वे शायद पहले अथवा पूर्व राष्ट्रपति हैं, जिन पर अभियोग चलाया जाएगा, लेकिन इससे यह एक मूल प्रश्न भी उठता है कि क्या उनकी सुनवाई निष्पक्ष की जाएगी? और क्या वह सुनवाई किसी प्रकार की हिंसा भड़कने के बिना आगे चलेगी? पर अमेरिका के द्विदलीय राजनीतिक सिस्टम के स्थायित्व और यहां कानून के शासन का एक टैस्ट भी होगा।"

## भाजपा व कांग्रेस में स्पर्धा है कौन ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

होड़ मची है। कुमारास्वामी ने कहा कि पर वे स्वयं के बलबूते पर बहुमत लाने और सरकार बनाने के प्रयास में है। अगर त्रिशंकु जनादेश मिला और किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, जैसा वर्ष 2018 में हुआ था, उन हालात को देखते हुए कुमारास्वामी का बयान महत्वपूर्ण है। जनता दल (एस) भाजपा व कांग्रेस दोनों के साथ सरकार बना चुकी है। जनवरी 2006 से पार्टी ने भाजपा के साथ सरकार बनाई थी, जो 20 माह चली थी फिर मई 2018 में कांग्रेस के साथ सरकार बनाई थी जो 14 माह चली थी जिसमें कुमारास्वामी मुख्यमंत्री थे।

कुमारा स्वामी ने कहा कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के लोकल नेता मीडिया के सामने कहा, "मेरी पार्टी को कमतर बताते हैं और बाद में आकर मेरा दरवाजा खटखटाते हैं। सिद्धारमैया कहते हैं कि जद (एस) का भाजपा से समझौता है वही मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई कहते हैं कि जद (एस) का कांग्रेस से समझौता है अगर उन्होने जद (एस) से सम्पर्क साधने का प्रयास नहीं किया होता तो क्या वे ये सब कहते? वे मेरी पार्टी इस बार खत्म नहीं कर सकते। उन्होने कहा 15 साल फंसे रहने के बाद इस बार मैं जनता के सामने आया हूँ। जद (एस) का लक्ष्य 224 में से 123 सीटें जीतने और अपने दम पर सरकार बनाने का है।"

## स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान

### विश्लेषण और आपत्तियां As Given to CM

1. महत्वपूर्ण अर्थ वाले सभी संज्ञाओं और शब्दों की उचित परिभाषाएं जो संदर्भित और अर्थ करती हैं, जैसे दुर्घटना, आपात स्थिति, आपातकालीन देखभाल, परिवहन और प्राथमिक उपचार इसमें शामिल होनी चाहिए।
2. इस बिल में प्रस्तावित अधिकार केवल राजस्थान राज्य के निवासियों के लिए होने चाहिए।
3. वित्तीय प्रावधानों के बिना निजी स्वास्थ्य संस्थानों में मुफ्त इलाज की बाध्यता हैं, निजी अस्पतालों पर मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ नहीं डाला जा सकता है जो पहले से ही संकट में हैं और अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसे सार्वजनिक और नामित अस्पतालों के लिए ही निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।
4. सभी निजी स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों और उपलब्ध सुविधाओं के बिना व भुगतान के बिना सभी आपात स्थितियों का इलाज करने की बाध्यता नहीं होनी चाहिए।
5. दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त रेफरल परिवहन सुविधा की व्यवस्था सरकार द्वारा ही की जानी चाहिए।
6. दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त इलाज के लिए सरकार द्वारा उचित शुल्क पुनर्भुगतान प्रक्रिया होनी चाहिए।
7. जिला स्वास्थ्य समिति में ग्राम प्रधान और अन्य स्थानीय प्रतिनिधि होंगे, जो डॉक्टरों के खिलाफ पूर्वाग्रही और पक्षपाती हो सकते हैं, जो अंततः स्वास्थ्य सेवाओं को परेशान और बाधित कर सकते हैं। उन्हें प्राधिकरण में शामिल नहीं होना चाहिए।
8. डॉक्टरों और अस्पतालों के खिलाफ केवल एक ही शिकायत निवारण प्रणाली होनी चाहिए, सभी रोगियों को केवल इसका उपयोग करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। राज्य एवं जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण में डॉक्टर ही सदस्य हों, शिकायतों की जांच के लिए केवल विषय विशेषज्ञों को ही निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।
9. सभी प्राधिकरणों में निजी, सरकारी डॉक्टरों और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि शामिल किए जाने चाहिए।
10. शिकायत निवारण में प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी को किसी भवन या स्थान में प्रवेश करने, तलाशी लेने और जब्त करने का अधिकार नहीं होने चाहिए।
11. द्वेषपूर्ण और झूठी शिकायतों के लिए उचित संज्ञान और दंड के प्रावधानों को शामिल किया जाना चाहिए।
12. राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण या जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण के फैसले के खिलाफ दीवानी अदालतों के अधिकार क्षेत्र को पूरी तरह से वर्जित करना असंवैधानिक प्रावधान, इसे हटाया जाना चाहिए।
13. मुफ्त दुर्घटना आपातकालीन उपचार और अन्य मुफ्त उपचार केवल सरकारी अस्पतालों और नामित अस्पतालों में ही निर्दिष्ट किए जाने चाहिए।
14. रोगियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।
15. डॉक्टरों और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के अधिकार स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध और आरक्षित होने चाहिए।
16. डॉक्टरों को सुरक्षा और उनके खिलाफ हिंसा की रोकथाम प्रदान की जानी चाहिए।
17. निजी अस्पतालों पर राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं से जुड़ने की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बाध्यता नहीं होनी चाहिए।
18. इस अधिनियम के लिए किसी भी प्रकार के नियम बनाते समय हितधारक डॉक्टरों से परामर्श किया जाना चाहिए और मसौदा तैयार करने में उनकी भागीदारी शामिल होनी चाहिए।
19. राज्य सरकार की सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं में तर्कहीन और अनुचित पैकेज दरें हैं इसलिए ठीक से गुणवत्तापूर्ण उपचार करना असंभव है, इनके सुधार के लिए प्रावधान और सुझावों के लिए हितधारक डॉक्टरों और अस्पतालों को कमेटी में शामिल और विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।
20. राज्य में मजबूत गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा पर्यटन के लिए निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और प्रतिष्ठानों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजनाओं को शुरू करने और उचित उपाय करने के लिए सरकार द्वारा प्रावधान होने चाहिए।
21. प्रदेश की 70 प्रतिशत आबादी की सेवा करने वाले निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए और इनके सुचारू संचालन के लिए कम लागत की बिजली आपूर्ति, 5 वर्ष में फायर एनओसी का नवीनीकरण, पुराने चल रहे अस्पताल भवनों को नियमित करने जैसी सुविधाएं दी जानी चाहिए।

# हाई कोर्ट ने डॉक्टरों की हड़ताल को गैर कानूनी ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

सरकारी अस्पताल आज भी कार्यरत हैं।

वहीं महाधिवक्ता, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत से जुड़े थे, ने अदालत को कहा कि कुछ ही डॉक्टर और संस्थाएं इस पूरी हड़ताल को भड़का रहे हैं और यह लोग सरकारी डॉक्टरों को भड़काने में भी कामयाब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राइट टू हैल्थ बिल डॉक्टरों की पूरी सहमति के बाद ही विधानसभा में पेश किया गया था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जिनके निहित स्वार्थ शामिल हैं, वह इन डॉक्टरों को भड़का रहे हैं, जबकि राज्य सरकार ने ही इन अस्पतालों को औने-पौने दामों पर या मुफ्त जमीन मुहैया कराई है और कई प्राइवेट अस्पताल तो सरकारी स्कीमों की वजह से ही चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टरों को बिल के किसी प्रावधान से परेशानी है तो वह उसे अदालत में चुनौती दे सकते हैं पर ऐसे हड़ताल करना गैर कानूनी है।

अदालत ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि उन्होंने किसी भी डॉक्टर या डॉक्टरों की संस्था से बातचीत की है कि वह हड़ताल पर क्यों उतरे हैं क्योंकि याचिका में डॉक्टरा हड़ताल क्यों कर रहे है, इस बारे में नहीं बताया गया है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अखबारों की खबरों को आधार बनाकर याचिका दायर की है। अदालत इस बात से संतुष्ट नही थी कि प्राइवेट डॉक्टरों की हड़ताल को गैर कानूनी करार दिया जाये, बिना उनका पक्ष सुने। इसलिये अदालत ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के पैनल वकील अंगद मिर्धा को इस मामले में डॉक्टरों का पक्ष रखने के लिये नोटिस तलब किये हैं और महाधिवक्ता को आदेश दिये हैं कि वह डॉक्टरों और सरकार के बीच हुई बातचीत का पूरा ब्यौरा अदालत के समक्ष पेश करें।

बहस के दौरान यह भी कहा गया कि राइट टू हैल्थ बिल को स्थगित कर दिया जाये जब तक डॉक्टरों और सरकार के बीच समझौता नहीं हो जाता। यहां उल्लेखनीय है कि राइट टू हैल्थ बिल को विधानसभा में पारित कर दिया गया है परंतु इस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। इसलिये ये बिल अभी तक क्रियान्वित नहीं हुआ है।

उल्लेखनीय है कि 19 मार्च को, बिल के पारित होने से दो दिन पूर्व, आईएमए की जॉइन्ट एक्शन कमेटी के पांच सदस्य जिनमें डॉ.सुनील चुघ और डॉ.विजय कपूर शामिल थे, ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकारी अधिकारियों से बातचीत की थी। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने 21 बिन्दुओं पर सहमति जताई थी और आश्वासन दिया था कि वह इन बिन्दुओं को बिल में जोड़ेगी परंतु जब बिल का अंतिम प्रारूप विधानसभा के समक्ष पेश किया गया तब इनमें से कई बिन्दुओं पर सरकार ने ना तो जोड़ा था बल्कि कई बिन्दुओं पर तो विपरीत कार्य भी किया था।

उदाहरण के तौर पर (1) आइएमए की इस टीम को आश्वासन दिया गया था कि छोटी एवं निजी अस्पतालों पर मुफ्त इलाज का भार नहीं डाला जायेगा और केवल उन्हीं अस्पतालों पर यह भार डाला जायेगा जो इसका आर्थिक भार झेल सकेंगे। (2) दुर्घटना पीड़ितों को रैफरल अस्पताल पहुंचाने के लिये परिवहन सुविधा का भार सरकार को उठाना होगा। (3) दुर्घटना पीड़ितों के लिये मुफ्त इलाज के लिये उचित शुल्क पुनर्भरण व्यवस्था होनी चाहिये। (4) स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लैवल समितियों में ग्राम प्रधान और अन्य स्थानीय प्रतिनिधि नहीं होने चाहिये जो डॉक्टरों के खिलाफ पक्षपात कर सकें। (5) राज्य सरकार के पैकेज में बढ़ावा किया जाये और इन्हें व्यवाहारिक बनाया जाये। (6) प्रदेश की 70 फीसदी जनता की सेवा करेन वाले निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिये और इनके सुचारू संचालन के लिये कम लागत की बिजली और पांच वर्ष में फायर एनओसी का नवीनीकरण, पुराने चल रहे अस्पताल भवनों को नियमित करने की सुविधा देनी चाहिये।

सूत्रों का कहना है कि इनमें से किसी भी बिन्दु पर सरकार ने प्रावधान नहीं किये हैं बल्कि विपरीत काम किया है। सूत्रों का यह भी कहना है कि 19 मार्च को हुई मीटिंग में डॉक्टरों को आश्वासन दिया गया था कि उनकी सारी मांगें स्वीकार की जाएंगी। परंतु उन्हें मीटिंग समाप्त होने के बाद मीटिंग का हस्ताक्षरित ब्यौरा नहीं दिया गया और ना ही मांगों पर अमल किया गया।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आईएमए ने राज्यपाल को 25 मार्च यानी बिल के पारित होने के तीन दिन बाद पत्र लिखकर कहा था कि वह राइट टू हैल्थ बिल को विशेष तरह से नियुक्त की गई समिति को भेजें ताकि इस पर पुनर्विचार किया जा सके।

इस पत्र में भी आईएमए ने बिल में कई तरह की कानूनी त्रुटियां गिनाई हैं। परंतु सवाल यह है कि क्या यह पत्र भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा क्योंकि यह भी डॉक्टरों की संस्था द्वारा दिया गया प्रतिनिधित्व है।

**19 मार्च को आई.एम.ए. की कमेटी ने डॉ. सुनील चुघ के नेतृत्व में सरकारी अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी, जिसमें अधिकारियों ने 21 बिंदुओं पर पूर्ण सहमति जताई थी, परंतु बिल के अंतिम स्वरुप में "हाइलाइटेड" बिंदुओं को ना केवल अस्वीकार कर दिया, बल्कि इसके विपरीत कार्य किया गया।**

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908